

IV-245/10

भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500



सत्यमेव जयते

NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR

M 976144



ट्रस्ट डीड

स्टाम्प शुल्क अंकन-800/- रुपये

मैं प्रशान्त कुमार शुक्ला पुत्र स्व० श्री वीरेन्द्र नाथ शुक्ला, निवासी ग्राम जूही शुक्लपुर, पो० साँगीपुर, तहसील लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़ का हूँ जिन्हें आगे व्यवस्थापक/न्यासीगण कहा गया है। व्यवस्थापकों की इच्छा समाज सेवा व शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की है जिसके लिये व्यवस्थापकों ने यह ट्रस्ट स्थापित करने का निश्चय किया है

विदित हो कि व्यवस्थापक धनराशि अंकन 11000/- रुपये के एकमात्र स्वामी व अधिकारी हैं तथा व्यवस्थापक शिक्षा के लिये कार्य व अन्य कार्य जिनका विवरण आगे दिया गया है के लिये एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं और उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि अंकन 11000/- रुपये को इस उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यवस्थापकों ने उक्त राशि

Prashant K. Shukla

Do

नाम :
 आय का स्रोत : कर्म 520 (वर्ग 1)
 परिवार का नाम : Vidya Devi Education & Welfare Trust
 पता : Vill. Subi Shikulpur, Dist. Sangrur, Dist. Patiala.
 आवेदन देने का तिथि :
 आवेदन करने का नाम : सत्यदीप सिंह
 आवेदन करने का पता : MT-11/01
 आवेदन करने का नाम : छोटे कल्याण सिंह, बंगला
 दिनांक : 09/12/10 S





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 433840



-2-

अंकन 11,000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :-

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम विद्या देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (VIDYA DEVI EDUCATIONAL & WELFARE TRUST) होगा।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का शाखा कार्यालय 166, गंज बाजार, सदर मेरठ कैंट व मुख्य कार्यालय ग्राम जूही शुकुलपुर, पो0 साँगीपुर, तहसील लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11,000/- रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 433840



- 2 -

अंकन 11,000/- रुपये को इस उद्देश्य से हस्तान्तरित कर दी है और दे दी है कि न्यासीगण उक्त राशि को आगे दी गयी शक्तियों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत बतौर न्यासीगण रखेंगे। उक्त ट्रस्ट के नाम पर आज तक कोई चल व अचल सम्पत्ति नहीं है। उक्त व्यवस्थापकों ने उक्त ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी होना स्वीकार किया है और इस विलेख का निष्पादन कर रहे हैं। अतः व्यवस्थापक उपरोक्त इकरार करते हैं और घोषणा करते हैं कि :-

1. यह कि उक्त ट्रस्ट का नाम विद्या देवी एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट (VIDYA DEVI EDUCATIONAL & WELFARE TRUST) होगा।
2. यह कि उक्त ट्रस्ट का शाखा कार्यालय 166, गंज बाजार, सदर मेरठ कैंट व मुख्य कार्यालय ग्राम जूही शुकुलपुर, पो0 साँगीपुर, तहसील लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़ होगा परन्तु ट्रस्टीगण को अधिकार होगा कि वो उक्त ट्रस्ट का कार्यालय कहीं पर भी सहमति से स्थानान्तरित कर सकते हैं।
3. यह कि ट्रस्टीगण उक्त राशि अंकन 11,000/- रुपये जिसे आगे ट्रस्ट फण्ड कहा गया है तथा भविष्य में ट्रस्ट की सम्पत्ति, नकद राशि, निवेश, दान, ऋण अथवा अनुदान से

13

अंग का मूल्य : जंकन
 धारक का नाम : विद्युत
 पता : VPO, Juhikshikapur, Pat-Sangipur, Dist-Buxar
 नोटबन्दी का प्रकार एवं मूल्य
 एवं स्टाम्प लेबन का प्रयोजन
 स्टाम्प विवेकता का नाम
 लाईसेंस संख्या, वर्ष
 प्रत्येक पक्ष का नाम
 दिनांक का दिनांक

अतिरिक्त विवरण
 भा-1/2/3/4
 8/10, लक्ष्मणपुरी, मेरठ
 9/12/10

इसका स्टाम्प विवेकता

7300/480020
 & Welfare Trust
 Dist-Buxar





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 433839



- 3 -

प्राप्त सम्पत्ति सावधि जमा अथवा चालू राशि जो उक्त ट्रस्टीगण को समय-समय पर प्राप्त हो, को धारण करेंगे तथा उक्त ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को बतौर ट्रस्टीगण आगे दी गयी शक्तियों तथा कर्तव्यों को प्रयोग व अनुपालन करते हुये धारण करेंगे।

4. यह है कि ट्रस्टीगण ट्रस्ट फण्ड तथा ट्रस्ट पूँजी तथा अन्य चल व अचल सम्पत्तियों को शिक्षा संवर्धन के मुख्य कार्य तथा अन्य सामाजिक उत्थान के कार्य, औषधालय तथा शिक्षण संस्थाओं व कार्यशालाओं की स्थापना एवं संचालन व व्यवस्था यात्री सेवा व सुविधा आदि के कार्य करने हेतु धारण करेंगे तथा न्यासीगण को समय-समय पर आवश्यकतानुसार न्यास के उद्देश्यों में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. यह कि ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये न्यासीगण को समय-समय पर भूमि का ग्रहण, अधिग्रहण सरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, व्यक्तियों, संस्थाओं व विभागों से करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Babhet B. Mukherjee

14

ग्राम का प्लॉट : अन्न / खेत (प्लॉट नं.)

ग्रामीण का नाम : _____

पता : _____

संस्था का प्रकार एवं _____

एवं संस्था के नाम का प्रयोजन : _____

संस्था विवरण का नाम : _____

संस्था का प्रकार : _____

विज्ञापन स्थल का नाम : _____

विज्ञापन का दिनांक : _____

09/12/10

इसका संस्था विवरण





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AL 433838

- 4 -

6. यह कि उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त तथा उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ट्रस्टीगण ट्रस्ट के फण्ड तथा आय को तथा उसके समस्त या किसी भाग को नीचे दिये गये उद्देश्यों में से किसी एक या अनेक या समस्त और जितनी मात्रा में चाहे स्वांगीण रूप से प्रयोग कर सकते हैं।

ट्रस्ट के उद्देश्य एवं कार्य-

- (1) मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना करना व संचालन करना।
- (2) इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना व संचालन करना।
- (3) कंप्यूटर कोचिंग सेंटर की स्थापना करना व संचालन करना।
- (4) बेरोजगार, जरूरतमन्द व बेसहारा स्त्रियों के लिये रोजगार के अवसर प्रदान कराना।
- (5) लड़के व लड़कियों के लिये अलग-अलग व संयुक्त विद्यालय, विश्वविद्यालय व महाविद्यालय व प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना करना व संचालन करना।

24 NOV 2010

15

आगत का प्रकार	अंकित	10/11/10
व्यक्ति का नाम		
पता		
संस्था का प्रकार एवं मूल्य		
यदि संस्था का नाम का प्रतीक		13
आगत विधि का नाम		
संस्था का प्रकार		
विशेष करने का नाम		
दिनांक का विवरण		7/11/10



- (6) स्कूल, कालिज, तकनीकी व फार्मा शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना, सभी प्रकार के ग्रेजुवेशन व पोस्ट ग्रेजुवेशन, प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन व व्यवसायिक कोर्स हेतु कॉलिजों की स्थापना करना व संचालन करना।
- (7) नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, राजकीय स्कूल व माध्यमिक स्कूल (हिन्दी व इंग्लिश मीडियम) व अन्य सभी प्रकार के स्कूलों की स्थापना करना व संचालन करना।
- (8) शिक्षा के प्रचार व प्रसार हेतु सभी प्रयास करना।
- (9) शैक्षिक किताबों, पेपर (साप्ताहिक, दैनिक समाचार पत्र, मासिक पत्रिका आदि) का प्रकाशन कराना, लाईब्रेरी, रीडिंग रूम तथा होस्टल/ छात्रावास आदि की स्थापना एवं संचालन करना।
- (10) सभी प्रकार की फिल्में, टेली फिल्म, फीचर फिल्म आदि का निर्माण कराना।
- (11) धर्मशाला, आश्रम, क्लेश, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, आध्यात्मिक, साधना एवं योग केन्द्र तथा सभी के लिये धार्मिक स्थल बनवाना व उनकी देखभाल करना।
- (12) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांगों तथा समाज के सभी वर्गों के जरूरतमंद छात्र/छात्राओं के लिये छात्रवृत्ति व सहायता समाज कल्याण विभाग व सरकार से प्राप्त करना तथा जरूरतमंद छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व सहायता देना।
- (13) सरकारी सहायता प्राप्त करना तथा सरकारी नौडल संस्था का बिजनेज प्रमोटर एवं मास्टर फ्रेंचाईजी बनकर उसे बढ़ाने का कार्य करना तथा उक्त ट्रस्ट के द्वारा सरकारी अध्यापकों, कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना तथा उन्हें कम्प्यूटर खरीदकर देना एवं सर्विस प्रोवाइड करवाना।
- (14) समय-समय पर विभिन्न समस्याओं पर जनमानस के विचारों को जानने के लिए प्रपत्र पर प्रारूप तैयार कर उस पर सर्वे कराना।
- (15) समाज के प्रत्येक वर्ग में एड्स एवं गम्भीर बिमारियों के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करना।
- (16) गंगा को प्रदूषण मुक्त कराना तथा गंगा सफाई हेतु प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार आदि से सिफारिश करना, जल बचाव सम्बन्धित कार्य करना तथा आम जनता को



- (17) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भवन निर्माण कराना तथा अन्य निर्माण कार्य आधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीक द्वारा करना।
- (18) अस्पताल, औषधालय, अनुसंधान शालाओं एवं रसायन शालाओं का संचालन एवं स्थापना करना।
- (19) प्राकृतिक पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने हेतु कार्य करना। शहरों में पेड़ लगाना, जिससे प्रदूषण कम हो। खाली पड़ी भूमि पर वृक्षा रोपण करना ताकि पर्यावरण स्वच्छ रहे और आय के साधन बढ़ें और अवैध कब्जे भी न हो पाये।
- (20) निरीह प्राणियों, पशु एवं पक्षियों की चिकित्सा का प्रबन्ध करना एवं उनके लिये चिकित्सालयों की स्थापना व व्यवस्था करना।
- (21) स्कूल व कॉलिज में छात्र/छात्राओं को पर्यावरण एवं एड्स रोग के लिये जागृत करने हेतु कार्यक्रम चलाना।
- (22) कृषि भूमि तथा अन्य जमीन जायदाद आदि खरीदना, प्राप्त करना, उन्हें क्रय-विक्रय करना, हस्तान्तरण करना तथा कृषि भूमि पर कृषि कार्य कराना।
- (23) ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भूमि क्रय करना ट्रस्ट द्वारा क्रयशुदा भूमि पर भवन निर्माण करना तथा अन्य निर्माण कार्य आदि करना।
- (24) ट्रस्ट की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सभी प्रकार के कार्य व प्रयत्न करना, ट्रस्ट के लिये दान लेना एवं दान की रसीद देना।
- (25) वह सभी कार्य करना जो समस्त मानव जाति के लिये कल्याणकारी हो।
- (26) यह कि इस ट्रस्ट द्वारा शिक्षा जगत के विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशॉप आयोजित करना।

कार्य क्षेत्र-

7. यह कि न्यास/ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र समस्त भारतवर्ष होगा।

ट्रस्टीगण के अधिकार एवं कर्तव्य एवं नियुक्ति-

8. यह कि न्यासीगण को ट्रस्ट फण्ड की आय व उसके किसी भाग को जितने तथा जिस अवधि तक न्यासीगण चाहे जमा रखने तथा संचय की हुई आय को कालान्तर में कभी भी या किसी भी समय ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये व्यय करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9. यह कि न्यासीगण ट्रस्ट फण्ड या उसके किसी भाग अथवा भागों को किसी भी समय या अवसर पर जैसे कि ट्रस्टीगण उचित समझे, उपरोक्त उनके कार्यों में से एक या अधिक पर व्यय कर सकते हैं।



10. यह कि व्यवस्थापकों/ट्रस्टियों ने ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने हेतु अपने में से अध्यक्ष व सचिव नियुक्त कर लिया है। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट का सुचारु रूप से संचालन करने के लिये नये ट्रस्टी बनाने व उनको पद देने का अधिकार होगा। अध्यक्ष व सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा। बाकी पदाधिकारियों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

11. यह कि प्रशान्त कुमार शुक्ला पुत्र स्व० श्री वीरेन्द्र नाथ शुक्ला उपरोक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष व श्रीमती मुक्ता शुक्ला पत्नी श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला, निवासी ग्राम जूही शुक्लपुर, पो० साँगीपुर, तहसील लालगंज अझारा, जिला प्रतापगढ़ उक्त उपरोक्त ट्रस्ट की प्रथम सचिव होगी। अन्य ट्रस्टी सदस्यों को पद एवं अधिकार अध्यक्ष एवं सचिव आपसी सहमति से आवंटित करेंगे।

यह कि ट्रस्ट के उपरोक्त पदाधिकारी अध्यक्ष एवं सचिव का कार्यकाल जीवनपर्यन्त होगा तथा वो व्यवस्थापक ट्रस्टी कहलायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव का कभी चुनाव नहीं होगा और ना ही कोई सदस्य या अन्य व्यक्ति उनके चुनाव के लिये कोई कानूनी कार्यवाही करेंगे। उपरोक्त पदाधिकारी अपनी इच्छा से अपने पद से त्याग-पत्र दे सकते हैं तथा उनका रिक्त पद उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी को ही मिलेगा। यदि उक्त पदाधिकारियों में से कोई भी पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देता है तो व्यवस्थापकों को उसकी जगह नया पदाधिकारी बनाने का अधिकार होगा। यदि कोई व्यक्ति स्वयं ट्रस्ट की सदस्यता से त्याग-पत्र देता है और उसे सचिव, अध्यक्ष की सहमति से स्वीकार किया जायेगा। ऐसी दशा में त्याग पत्र देने वाले सदस्य के समस्त अधिकार ट्रस्ट से खत्म हो जायेंगे।

12. यह कि पदाधिकारियों के निम्न कर्तव्य व दायित्व होंगे :-

अध्यक्ष :- ट्रस्ट की सभी बैठकों की अध्यक्षता करना, ट्रस्ट की बैठक समय से बुलाने व ट्रस्ट को सुचारु रूप से संचालन करने के लिये सचिव को निर्देश व सहयोग प्रदान करना ट्रस्ट के लिये ट्रस्ट के नाम से कानूनी कार्यवाही कराना।

उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के कार्य करना। किन्तु उपाध्यक्ष के द्वारा किये गये कार्य वही वैध होंगे जिनका अनुमोदन अध्यक्ष एवं सचिव से करा लिया जायेगा।

सचिव :- ट्रस्ट की बैठकों में पारित समस्त प्रस्ताव व आदेशों को कार्य रूप में परिणित करना ट्रस्ट के दैनिक कार्यकलाप को सुचारु रूप से संचालित करना। सभी बैठकों को समयानुसार व अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाना तथा सभी बैठकों की कार्यवाही का पूर्ण रूप से विवरण, बैठक कार्यवाही रजिस्टर में लिख अध्यक्ष से सत्यापित कराना। अगली बैठक के बुलाने की सूचना के साथ पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के लिये उसकी नकल



अनुमोदित कराना। ट्रस्ट की सभी चल व अचल सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण रख उनकी सुरक्षा करना।

उपसचिव :- सचिव की अनुपस्थिति में सचिव के कार्य करना।

कोषाध्यक्ष :- ट्रस्ट की समस्त आय-व्यय का हिसाब रखना व उसको ऑडिट कराना।
ट्रस्ट का समस्त व्यय जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा सत्यापित हों उनको अनुमोदित कर भुगतान कराना। ट्रस्ट के खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या अध्यक्ष व सचिव में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन किया जा सकेगा।

13. यह कि ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्य जैसे-न्यायालय प्रकरण, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित लेन-देन, निर्माण, मान्यता, सम्बद्धता आदि आपसी सहमति से अध्यक्ष व सचिव करेंगे। किसी महत्वपूर्ण निर्णय अथवा आपातकालीन समस्या के लिये आपातकालीन बैठक अध्यक्ष द्वारा आहूत की जायेगी एवं अध्यक्ष एवं सचिव अपना आदेश प्रदान करेंगे। यदि किसी विषय पर मतभेद हो जाता है कि तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष व सचिव का निर्णय सर्वमान्य होगा।
14. यह कि अध्यक्ष व सचिव समय-समय पर सामाजिक, धार्मिक व पारमार्थिक कार्यों के प्रबन्ध एवं संचालन हेतु अपने विवेक के अनुसार प्रबन्ध समिति जिसमें वे स्वयं या उनमें से एक या अधिक ट्रस्टी तथा अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा एवं ट्रस्टीगण ऐसी प्रबन्धक समिति तथा उसके कार्यकाल एवं नियम आदि बनाने का तथा ऐसी प्रबन्धक समिति को सम्बन्धित कार्यों, उद्देश्यों के संचालन व पूर्ति के लिये जो अधिकार ट्रस्टीगण उचित समझें प्रदान करने की शक्ति होगी। साधारणतः ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष ही उक्त समस्त प्रबन्धक समितियों के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव व कोषाध्यक्ष होंगे तथा ट्रस्टीगण की आपसी सहमति से इसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।
15. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट तथा उसके उद्देश्यों से सम्बन्धित कार्य हेतु किसी भी एजेन्ट जिसमें बैंक भी शामिल है, को नियुक्त करने तथा उसे धनराशि अदा करने का तथा ट्रस्टीगण में निहित शक्तियों का प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होगा।
16. यह कि ट्रस्ट की बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी परन्तु किसी भी ट्रस्टी को 7 दिन पूर्व अन्य ट्रस्टीगण को प्रस्तावित बैठक के विषय की सूचना देकर ट्रस्ट की बैठक बुलाने का अधिकार होगा और ट्रस्ट की बैठक साधारणतः ट्रस्ट कार्यालय में होगी परन्तु ट्रस्टीगण को अन्य स्थान पर जहाँ ट्रस्टीगण उचित समझें बैठक बुलाने का भी अधिकार होगा।



17. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये समय-समय पर व्यक्तिगत, वित्तीय संस्थाओं, फर्म, बैंक आदि से उधार/ऋण लेने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष एवं सचिव को ट्रस्ट की सम्पत्तियों/अचल सम्पत्तियों को बंधक रख कर ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये उधार/ऋण/बैंक गारन्टी लेने का पूर्ण अधिकार होगा तथा ट्रस्ट के लाभ के लिये ट्रस्ट की सम्पत्ति को विक्रय करने का अधिकार भी होगा। अध्यक्ष व सचिव को ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को किराया/लीज पर देने का अधिकार होगा व ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिये ट्रस्ट की सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को सभी प्रकार के शेयरों, ऋण पत्रों व अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने का पूर्ण अधिकार होगा।
18. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कहीं भी चल व अचल सम्पत्ति किन्हीं भी शर्तों पर जो ट्रस्टीगण निश्चित करेंगे तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों के विपरीत न हो को प्राप्त करने व धारण करने चाहे पूर्ण स्वामित्व में हो या लीज पर हो या किराये पर हो या क्रय करने या किसी और अन्य तरीके से प्राप्त करने, विक्रय करने, किराये पर देने, हस्तान्तरण करने तथा अन्य प्रकार से अधिकार त्यागने का पूर्ण अधिकार होगा परन्तु ट्रस्टीगण को ट्रस्ट के नाम से तथा उद्देश्यों से रिक्त होने का अधिकार नहीं होगा।
19. यह कि बैठक का कोरम किसी भी समय समस्त ट्रस्टीयों की संख्या का 1/3 अथवा किन्हीं तीन ट्रस्टीयों का जो भी अधिक हो, होगा। यदि कोरम के अभाव में सभा स्थगित की जाती है तो स्थगित बैठक की तिथि, समय व स्थान की समस्त ट्रस्टीगणों को डाक द्वारा सूचना प्रेषित करना आवश्यक होगा। स्थगित सभा भी कोरम पूरा किये बिना नहीं हो सकती। ट्रस्ट के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष व सचिव की सहमति लेनी अनिवार्य होगी।
20. यह कि उक्त व्यवस्थापकों को ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थाओं से अपने तकनीकी कौशल के अनुसार पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्त व्यवस्थापकों के मृत्यु के बाद उनकी संतान अथवा कानूनी वारिस पारिश्रमिक व लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
21. यह कि सभी सम्बन्धित ट्रस्टी व्यक्तिगत रूप से केवल ट्रस्ट हेतु प्राप्त की गयी राशि, सम्पत्ति व प्रतिभूतियों के लिये उत्तरदायी होंगे तथा केवल अपने द्वारा किये गये कार्य प्राप्ति, उपेक्षा अथवा चूक के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे परन्तु अन्य ट्रस्टीगण बैंकर, दलाल, एजेंट अथवा अन्य व्यक्ति जिनके हाथ में ट्रस्ट की राशि या प्रतिभूतियाँ आदि रखी गयी हैं और उनके द्वारा किये गये कार्य से किसी निवेश का मूल्य घटने अथवा ट्रस्ट को किसी भी प्रकार की हानि होने पर परन्तु व उनके द्वारा जानबूझकर की गयी चूक अथवा व्यक्तिगत कार्य के कारण ना हुआ हो तो ट्रस्टीगण उसके लिये व्यक्तिगत

यास पत्र

11,000.00

110.00

20

130.00

800

न्यास की राशि

कॉम रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

योग

अब्द लगभग

श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला

पुत्र श्री स्व० वीरेन्द्र नाथ शुक्ला

Prashant K. Shukla

व्यावसाय व्यापार

निवासी स्थायी जूही शुक्लपुर, पो० सांगीपुर त० लालंज अझारा जिला प्रतापगढ़ मय वो

अस्थायी पता ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 10/12/2010 समय 3:20PM

इसे निबन्धन हेतु पेश किया।

Prashant K. Shukla



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम दयाल
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर-IV
10/12/2010

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजबूत

न्यासी

श्री प्रशान्त कुमार शुक्ला

पुत्र श्री स्व० वीरेन्द्र नाथ शुक्ला

पेशा व्यापार

निवासी जूही शुक्लपुर, पो० सांगीपुर त० लालंज अझारा जिला प्रतापगढ़ मय वोटरकार्ड

Prashant K. Shukla



ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पाठान श्री अंकुर अग्रवाल

पुत्र श्री नरेन्द्र अग्रवाल

पेशा व्यापार

निवासी 166, गंज बजार सदर मेरठ कैण्ट

व श्री सुधांशु पाण्डेय

पुत्र श्री स्व० सुरेन्द्र पाण्डेय

पेशा व्यापार

निवासी 25/1, गोविन्दपुर कॉलोनी इलाहाबाद

ने की।

प्रत्यक्षतः सद साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिखे गये हैं।

Ankur Agrawal



Surender Pandey



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राम दयाल
उप निबन्धक चतुर्थ
मेरठ सदर-IV

22. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट के नाम से चालू खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता ओवर ड्राफ्ट खाता व सभी प्रकार के बैंकिंग खाते किसी भी संस्था जो कि बैंकिंग का व्यवसाय करती हो में खोल और रख सकते हैं। उक्त सभी बैंकिंग एकाउन्ट्स-खातों व अन्य सभी बैंकिंग खातों का संचालन अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा होगा या उक्त पदाधिकारियों में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा भी खातों का संचालन भी किया जा सकेगा।
23. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव को अन्य ट्रस्टी रखने एवं सदस्य बनाने तथा उनको हटाने का अधिकार होगा। ट्रस्ट के नाम नियम एवं उद्देश्यों में परिवर्तन करने का अधिकार भी अध्यक्ष व सचिव को होगा। अध्यक्ष एवं सचिव की मृत्यु के बाद उनके बच्चे क्रमशः उक्त ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं सचिव होंगे और यह सिलसिला आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा।
24. यह कि ट्रस्टीगण को उक्त ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तथा आवश्यक होने पर अन्य व्यक्तियों, संस्था अथवा किसी अधिकारी अथवा किसी अन्य के सहयोग से समस्त विधिक कार्य करने का पूर्ण अधिकार होगा।
25. यह कि अध्यक्ष एवं सचिव ट्रस्ट की प्राप्ति व खर्चों का व ट्रस्ट फण्ड एवं सम्पत्तियों का सम्पूर्ण उचित तरीके से बाजाबता हिसाब रखेंगे और प्रतिवर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा/आर्थिक वर्ष का वार्षिक आय व्यय का लेखा व आर्थिक चिट्ठा बनायेंगे जो कि अध्यक्ष व सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और इसका ऑडिट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।
26. यह कि न्यासी/ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह अपना उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार निश्चित कर सके। ट्रस्टी सदस्यों के मरणोपरान्त उस वसीयत के अनुसार ट्रस्टी उस उत्तराधिकारी को ट्रस्ट में सदस्य बनायेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव उक्त संस्थापक ट्रस्टी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर, ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी भी प्रकार का अधिकार न होगा। प्रत्येक न्यासी/ट्रस्टी द्वारा अपने उत्तराधिकारी का नामांकन कराया जायेगा। जोकि उक्त न्यासी/ट्रस्टी की मृत्यु होने पर या अक्षम अथवा अनुपयुक्त होने पर उक्त न्यासी/ट्रस्टी के स्थान पर न्यासी/ट्रस्टी तथा नवनियुक्त ट्रस्टी को एतद द्वारा नियुक्त ट्रस्टी के समान ही कार्य करने का अधिकार एवं दायित्व होगा।
27. यह कि ट्रस्ट फण्ड में सम्मिलित किसी राशि, सम्पत्तियों या आस्तियों या उनके किसी भाग को एक साथ अथवा खण्डों में सार्वजनिक नीलाम अथवा प्राईवेट संविदा द्वारा सर्शत अथवा बिना शर्त विक्रय करना, क्रय करना किसी विक्रय अथवा पुनः विक्रय की संविदा में परिवर्तन करने अथवा विखण्डित करने का अधिकार होगा और ट्रस्टीगण उसमें हुई किसी हानि के जिम्मेदार नहीं होंगे।
28. यह कि ट्रस्ट डीड ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा पंजीकृत करायी जायेगी।
29. यह कि एतद्वारा संस्थापित किया गया ट्रस्ट अप्रतिसंहरणीय होगा, परन्तु यदि किसी कारणवश से ट्रस्टीगण उक्त ट्रस्ट का संचालन करने में असमर्थ होंगे तो ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियों/परिसम्पत्तियों को निस्तारण कर ट्रस्ट की सभी देनदारियों का भुगतान करने के पश्चात् ट्रस्ट का विघटन कर सकते हैं।

न्यासी

Registration No.: 245

Year: 2,010

Book No.: 4

0101 प्रशान्त कुमार शुक्ला

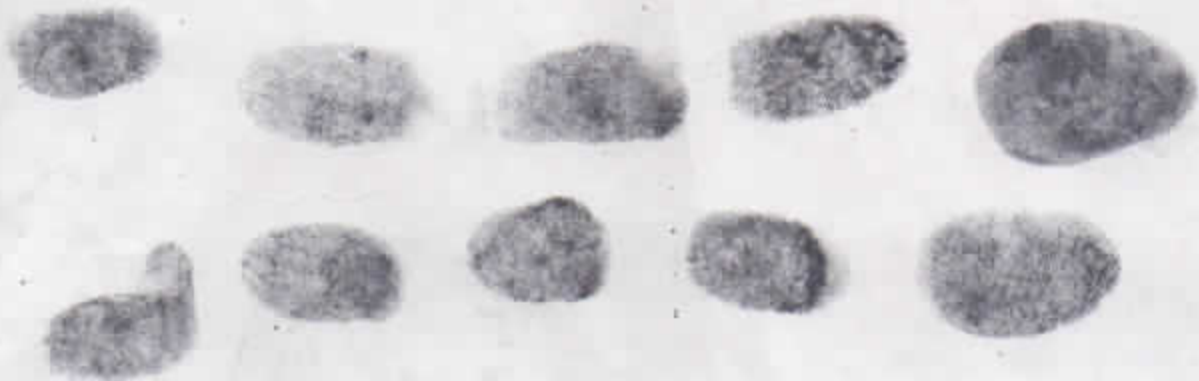
स्व० वीरेन्द्र नाथ शुक्ला

जुही शुक्लपुर, पो० राँगीतुर त० सालंज अद्वारा जिला प्रतापगढ़ ग.
आपार



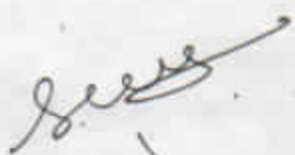
उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप व्यवस्थापक ने अपने हस्ताक्षर किये।

मुकिर प्रशान्त कुमार शुक्ला के दोनों हाथ की उंगलियों के निशानात

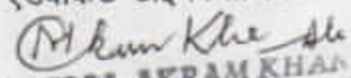


Prashant Kumar Shukla

① 
S. M. Akram Khan
S. M. Akram Khan
नि. 166 गंज बाजार
मेरठ

② 
सुधांशु पाण्डेय S. M. Akram Khan
वि. प्र. हुंर-9 सुधांशु पाण्डेय
निवासी - 25/1, E.W.S.
गोविन्दपुर लखनौ - इलाहाबाद

तहरीर तारीख 10-12-2010 मसविदा मौ० अकरम खान एडवोकेट टाईपकर्ता विपिन कुमार।


S. M. AKRAM KHAN
ADVOCATE
MEERUT.

आज दिनांक 10/12/2010 को

वही सं. ६ जिल्द सं. 225

पृष्ठ सं. 363 से 394 पर क्रमांक 245

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के हस्ताक्षर



राम दयाल

उप निबन्धक चतुर्थ

मेरठ सदर-IV

10/12/2010

